

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2021-फाल्गुन-21, शके 1942

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, शादी पूर्व मेरा नाम कहीं पर इन्द्रजीत कौर कहीं इन्द्रजीत कौर सलुजा/सलिजा (INDERJEET KAUR SALUJA/INDERJEET KAUR SALIJA) या ईशु बग्गा (घर में बोला जाने वाला नाम) था. शादी के बाद सभी नाम या उपनामों की जगह केवल एक नाम इन्द्रजीत कौर बग्गा कर लिया है, अतः मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये उपनाम व नाम इन्द्रजीत कौर बग्गा से ही लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( इन्द्रजीत कौर सलुजा/इन्द्रजीत कौर सलिजा )

(INDERJEET KAUR SALUJA/  
INDERJEET KOUR SALIJA)

(751-बी.)

नया नाम :

( इन्द्रजीत कौर बग्गा )

(INDERJEET KAUR BAGGA)

आर-124, खातीवाला टैंक, इन्दौर (म.प्र.).

#### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा सही नाम अंजली दशपुत्रे है, जो कि मेरे व मेरे बच्चों के समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे पुत्र तन्मय दशपुत्रे की 10वीं कक्षा की अंकसूची में मेरा नाम अंजू दशपुत्रे लिखा हुआ है, जो कि मेरा घरेलू एवं शादी पूर्व बोला जाने वाला नाम है. अतः मेरे पुत्र की अंकसूची सहित उसके व मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम अंजली दशपुत्रे से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( अंजू दशपुत्रे )

(ANJU DASHAPUTREA)

(752-बी.)

नया नाम :

( अंजली दशपुत्रे )

(ANJALI DASHAPUTRE)

48-ए धनवंत्री नगर राजेन्द्र नगर के पास,  
इन्दौर (म.प्र.).

**CHANGE OF NAME**

Previously in my passport my name was ABHAY KUMAR DUBEY to which I changed my name to ABHAY now I am changing my name to ABHAY DUBEY my father's name is Shri Kailash Chandra Dubey and my mother's name is Shrimati Gopal Kuwar Dubey.

Old Name :

( ABHAY KUMAR DUBEY )

(754-B.)

New Name :

( ABHAY DUBEY )

S/o Shri Kailash Chandra Dubey,

Add-75, Sanjana Park

Near Agrawal Public School

Bicholi Mardana, Indore (M.P.) 452016.

**CHANGE OF NAME**

I, ABDUL HAKIM have changed my name to ABDUL HAKIM CHOUDHARY S/o Mohammed Ali Choudhary and now I would be Known as ABDUL HAKIM CHOUDHARY S/o Mohammed Ali Choudhary.

Old Name :

( ABDUL HAKIM )

(755-B.)

New Name :

( ABDUL HAKIM CHOUDHARY )

S/o Mohammed Ali Choudhary,

Add-411, Gali No. 3 Madina Nagar,

Azad Nagar, Indore (M.P.).

**उप-नाम परिवर्तन**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलीप बहादुर (DILIP BAHADUR) आत्मज श्री राम बहादुर, निवासी न्यू क्वार्टर नम्बर 1, ब्लॉक ई फ़ैमली लाईन, रांझी, तहसील व जिला जबलपुर (New Quarter No.1, Block E Family Line Ranjhi, Jabalpur) के निवासी है तथा मैं, छटवीं बटालियन एस. ए. एफ. रांझी, जबलपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत हूँ मेरा बेच नंबर 220 है, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दिलीप बहादुर (DILIP BAHADUR) दर्ज है. जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम दिलीप बहादुर थापा (DILIP BAHADUR THAPA) दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम दिलीप बहादुर के स्थान पर अपना नाम दिलीप बहादुर थापा कराना चाहता हूँ.

पुराना नाम :

( दिलीप बहादुर )

( DILIP BAHADUR )

(742-बी.)

नया नाम :

( दिलीप बहादुर थापा )

( DILIP BAHADUR THAPA )

**नाम परिवर्तन**

मैं, वीर कुमार सिंह, मूल निवासी ग्राम सोहास, पोस्ट डगडीहा, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र.) का मूल निवासी हूँ. वर्तमान में सुदामापुरी, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) में निवासरत हूँ. मेरे पुत्र कुमार विशेक सिंह (KUMAR VISHEK SINGH) के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम वी.के. सिंह (V. K.SINGH) दर्ज है. जबकि बाकी समस्त दस्तावेजों में मेरा पूरा नाम वीर कुमार सिंह (VEER KUMAR SINGH) अंकित है. उक्त दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं. आज से समस्त दस्तावेजों में मेरा पूरा नाम वीर कुमार सिंह (VEER KUMAR SINGH) पढ़ा जावे. सर्व-साधारण सूचित हों.

पुराना नाम :

( वी. के. सिंह )

( V. K. SINGH )

(757-बी.)

नया नाम :

( वीर कुमार सिंह )

( VEER KUMAR SINGH )

**CHANGE OF NAME**

I, hereby declare that before married my name was Melody Malsawmdawngzuali D/o Ngurrinkhuma. After marriage I have changed my name as Navya Dwivedi W/o Dhruvesh Dwivedi.

Old Name :

( MELODY MALSAWMDAWNGZUALI )

(785-B.)

New Name :

( NAVYA DWIVEDI )

Add-C-6/6, Punjabi Bag,

Raisen Road, Bhopal (M.P.) 462023.

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनील कुमार जाटव पिता श्री रमेश प्रसाद, निवासी रसूलिया, होशंगाबाद, तहसील व जिला होशंगाबाद शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैंने अपने पुराने नाम सुनील कुमार जाटव के स्थान पर सुनील कुमार यादव कर लिया है। मैंने अपने उपनाम में परिवर्तन किया है, इसलिए भविष्य में मुझे अपने परिवर्तित उपनाम सुनील कुमार यादव के नाम से जाना, पहचाना एवं पढ़ा जाए।

पुराना नाम :

( सुनील कुमार जाटव )

निवासी-रसूलिया, होशंगाबाद (म.प्र.).

(745-बी.)

नया नाम :

( सुनील कुमार यादव )

निवासी-रसूलिया, होशंगाबाद (म.प्र.).

**उप-नाम परिवर्तन**

मुझे पहले मेरे नाम ऊदल सिंह जाटव पिता रामदयाल जाटव के नाम से जाना जाता था। आज दिनांक से मुझे ऊदल सिंह मौर्य (UDAL SINGH MOURYA) पिता रामदयाल जाटव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

( ऊदल सिंह जाटव )

( UDAL SINGH JATAV )

20-A, अमृत नगर, देवास (म.प्र.).

(746-बी.)

नया नाम :

( ऊदल सिंह मौर्य )

( UDAL SINGH MOURYA )

**नाम परिवर्तन**

यह कि खगेन्द्र कुंवर आ. फर्श बहादुर कुंवर, आयु वयस्क, निवासी बी-81, जनता क्वार्टर गौतम नगर, नियर अर्वातिका पेट्रोल पम्प गोविन्दपुरा, भोपाल म.प्र. उपरोक्त पते पर निवास करता है। यह कि मेरे पक्षकार को अब तक खगेन्द्र कुंवर के नाम से जाना जाता था तथा आज दिनांक के बाद से मेरे पक्षकार को अपने नवीन नाम रोहन कुंवर के नाम से जाना व पहचाना जावेगा।

**SRASHTI PANCHOLI BHATT,**  
(Advocate)

Reg. No. Mp/2391/13,

LIG-1/29, Vidya Nagar,

H. Bad Road, Bhopal.

(753-बी.)

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम अलका परमानी पुत्री श्री पारूमल परमानी है, नामकरण के उपरांत से विवाह के पूर्व तक मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती थी। पारिवारिक व सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार मेरे विवाह उपरांत से मेरे पूर्व का नाम अलका परमानी को परिवर्तित होकर मधु गुरनानी पत्नी श्री कन्हैयालाल गुरूनानी हुआ, विवाह उपरांत से मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ उक्त नाम मेरे विवाह उपरांत के विधिक दस्तावेजों में भी दर्ज हैं।

पुराना नाम :

( अलका परमानी )

पुत्री-श्री पारूमल परमानी.

(756-बी.)

नया नाम :

( मधु गुरनानी )

पत्नी-श्री कन्हैयालाल गुरूनानी,

निवासी-बी-4/47, शॉप मेन रोड,

बैरागढ़, भोपाल.

**नाम परिवर्तन**

सूचनार्थ मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम घनश्याम धाकड पुत्र जगदीश दर्ज है। मैंने अपना नाम बदलकर नवल धाकड पिता जगदीश कर लिया। भविष्य में मुझे नवल धाकड पिता जगदीश के नाम से जाना, पहचाना जावें।

पुराना नाम :

( घनश्याम धाकड )

(743-बी.)

नया नाम :

( नवल धाकड )

निवासी-सी-858, आनंद नगर,

बहोड़ापुर, ग्वालियर.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम फकीर मोहम्मद जो मेरी बीमा पालिसी क्रमांक 342662138 में एवं आठवी कक्षा की मार्कशीट में दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, ड्रायविंग लायसेंस में चिमन (CHIMAN) दर्ज है इस प्रकार मैंने अपने पुराने नाम के स्थान पर नया नाम चिमन (CHIMAN) ग्रहण कर लिया है, सो मुझे मेरे परिचित, रिश्तेदार, समाजजन, नये परिवर्तित नाम चिमन (CHIMAN) के नाम से जाने, पहचाने व पुकारें.

पुराना नाम :

(फकीर मोहम्मद)

(714-बी.)

नया नाम :

(चिमन)

पिता- पीर मोहम्मद,  
निवासी-मकान नम्बर 04, केशवराव गली,  
जावद, जिला नीमच (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम कमल सात्विक था जिसके दस्तावेजों में पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) एवं स्टेट बैंक की पासबुक है और विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमति प्रतिभा विखे पत्नी स्व. मधुसूदन विखे हो गया है. जिसके दस्तावेजों में पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड है. दोनों नाम मेरे ही हैं और इन दोनों नामों की मैं, एक ही व्यक्ति हूँ.

पुराना नाम :

(कमल सात्विक)

पुत्री- स्व. केशवराव सात्विक

(646-बी.)

नया नाम :

(प्रतिभा विखे)

पति-स्व. मधुसूदन विखे,  
ग्राम रतनपुर सड़क,  
होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में गुड्डू काछी नाम दर्ज है जिसे मैंने परिवर्तित कर गुड्डू सिंह पटेल कर लिया है. अतः मुझे भविष्य में गुड्डू काछी के स्थान पर गुड्डू सिंह पटेल के नाम से जाना-पहचाना जावे. साथ ही मेरे समस्त प्रकार के दस्तावेजों में मेरा नाम गुड्डू सिंह पटेल दर्ज किया जावे व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(गुड्डू काछी)

(771-बी.)

नया नाम :

(गुड्डू सिंह पटेल)

स्थायी निवासी- S/o बूठे म.न. 804/3,  
ग्राम- पो. राजा बिलहरा पुलिस चौकी,  
के पास सागर रोड, जिला सागर (म.प्र.). 475001

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारणों को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम दुर्गेश रेकबार से बदलकर नया नाम सविता बाई रख लिया है. मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम सविता बाई के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे एवं एलआईसी की पॉलिसी क्रमांक 200366171 में भी मेरा नया नाम अंकित किया जावे.

पुराना नाम :

(दुर्गेश रेकबार)

(665-बी.)

नया नाम :

(सविता बाई)

W/o रमेश कुमार,  
पता- 1381 कृष्णा नगर गली न. 02, कोच फैक्ट्री,  
के पास, हुजूर रोड, सिलावरी सराई, भोपाल (म.प्र.).

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप केवरे पुत्र श्री नन्दलाल जाटव, निवासी- गंडे वाली सड़क, बकरा मंडी के पास, कबीर आश्रम के सामने, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.) हूँ. यह कि मैं शपथकर्ता अपना सरनेम जाटव के स्थान पर केवरे करना चाहता हूँ. मेरा पूर्व सरनेम जाटव मेरे समस्त दस्तावेजों आदि में दर्ज है. अब मैं अपना पूरा नाम प्रदीप केवरे करना चाहता हूँ. अतः भविष्य में मुझे प्रदीप केवरे के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(प्रदीप जाटव)

(770-बी.)

नया नाम :

(प्रदीप केवरे)

पुत्र-श्री नन्दलाल जाटव.

**नाम परिवर्तन**

मैं, अंशु पत्नी श्री मृणाल मोहित, निवासी ए-402, तिरुमला टाउन, छोटा बांगड़दा, सुपर कॉरिडोर रोड, इन्दौर (म.प्र.) 452005 वर्तमान में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 के पद पर जिला एवं सत्र न्यायालय सिंगरौली, मुख्यालय-वैढन (म.प्र.) में पदस्थ हूँ. मेरे द्वारा भविष्य के सभी प्रयोजन हेतु अपना नाम "अंशु" से "अंशु चौहान गुप्ता" परिवर्तित किया जा रहा है. समस्त सूचित हों.

पुराना नाम :

( अंशु )

(744-बी.)

नया नाम :

( अंशु चौहान गुप्ता )

**PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given to public that our partnership firm M/s Ganga Associates registered with the Registrar of firms, Ujjain (M.P.) has undergone the following changes-

1. Mr. Kailash Rajani S/o Mr. Rawaldas Rajani has ceased to be partner in the firm due to his death on 21<sup>st</sup> November, 2016.
2. Mr. Palash Rajani S/o Mr. Kailash Rajani, resident of civil Lines, Near Collector Bungalow, Dewas has been introduced as partner in the firm with effect from 8<sup>th</sup> December, 2016 and
3. The place of business of partnership firm has been changed at Ganga Associates, 23, Palsikar Colony, Laal Sai Apartment, Indore 452007 with effect from 1<sup>st</sup> February, 2021.

For- M/s Ganga Associates,  
**HARISH MANGLANI,**

(Partner).

(790-B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म R S INFRASTRUCTURE पता 15-A, GHEE MANDI, DAULATGANJ, UJJAIN MADHYA PRADESH पंजीयन क्रमांक 07/33/01/0106/17, दिनांक 24-12-2017 है. जिसमें दिनांक 26-02-2020 को फर्म का पता 15-A, GHEE MANDI, DAULATGANJ, UJJAIN MADHYA PRADESH के स्थान पर नवीन पता-107, SUDAMA NAGAR, AGAR ROAD UJJAIN, MADHYA PRADESH हो गया है. वर्तमान में इस फर्म का पता-107, SUDAMA NAGAR, AGAR ROAD UJJAIN, MADHYA PRADESH से कार्यरत रहेगी. वर्तमान में इस फर्म R S INFRASTRUCTURE पता 15-A, GHEE MANDI, DAULATGANJ, UJJAIN MADHYA PRADESH में निम्नानुसार भागीदार रह गये हैं.

फर्म-R S INFRASTRUCTURE,

(1) **ANKITA SHARMA,**(2) **ANITA SHARMA,**

(Partner).

(740-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म R S INFRASTRUCTURE पता 15-A, GHEE MANDI, DAULATGANJ, UJJAIN MADHYA PRADESH पंजीयन क्रमांक 07/33/01/0106/17 दिनांक 24-12-2017 है . जिसमें दिनांक 21-12-2018 को (1) Mrs. Ankita Sharma W/o Shri Ankit Sharma, पता 107, Sudama Nagar, Ujjain (M.P.), (2) Mrs. Anita Sharma W/o Shri Kamlesh Sharma, पता 107, Sudama Nagar, Ujjain (M.P.) को दो नये पार्टनरों (भागीदारों) के रूप में फर्म R S INFRASTRUCTURE पता 15-A, GHEE MANDI, DAULATGANJ, UJJAIN MADHYA PRADESH में प्रवेश हुआ है. वर्तमान में इस फर्म R S INFRASTRUCTURE में निम्नानुसार भागीदार रहेंगे.

फर्म-R S INFRASTRUCTURE,

(1) **Rajni Harbhajanka,**(2) **Sumit Shah,**(3) **Ankita Sharma,**(4) **Anita Sharma,**

(Partner).

(741-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स विजयसिंह अमरसिंह बागड़ी फर्म जिसका पता-दुकान नम्बर-51, नवीन फल एवं सब्जी मंडी, तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0357/16 दिनांक 18-03-2016 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री विजयसिंह बागड़ी पिता श्री अमरसिंह बागड़ी, 2. श्री जयेश चौहान पिता श्री अशोक चौहान, 3. श्री रवि चौहान पिता श्री अशोक चौहान थे। तत्पश्चात् दिनांक 09-02-2021 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री विजयसिंह बागड़ी पिता श्री अमरसिंह बागड़ी भागीदारी फर्म मेसर्स विजयसिंह अमरसिंह बागड़ी से प्रथक हो गए हैं। इन्होंने अपना पूर्ण हिसाब-किताब भागीदारी फर्म मेसर्स विजयसिंह अमरसिंह बागड़ी से कर लिया है एवं कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है।

तर्फ-मेसर्स विजयसिंह अमरसिंह बागड़ी,

(1) जयेश चौहान,

(2) रवि चौहान,

(भागीदार)

(747-बी.)

### PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Mahashree Refractories, having office at Ward No.13, Nehru Chowk, Tah. Waraseoni, Distt- Balaghat (M.P.), a partnership firm incorporated on 21<sup>st</sup> July 2015, having three partners as Shri Shirish Khandelwal, Shri Vinod Bhujade, Shri Premnath Singh. On 25-05-2020, 5 new persons were admitted as partners to the firm namely Shri Parth Kancharlwar, Shri Abhishek Kumar Model, Smt. Namrata Singhai, Smt. Renu Jain and Smt. Sheelu Jain and on 06-06-2020 three partners to the existing firm did retired from the firm " M/s Mahashree Refractories namely Shri Shirish Khandelwal, Shri Vinod Bhujade, Shri Premnath Singh. Now Five continuing partners of the firm are Shri Parth Kancharlwar, Shri Abhishek Kumar Model, Smt. Namrata Singhai, Smt. Renu Jain and Smt. Sheelu Jain. This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For- M/s Mahashree Refractories,

**ABHISHEK MODEL,**

(Partner).

(748-B.)

### PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Rajshahi Foods & Beverages having head office at D-56, Basant Vihar, Gwalior is registered Partnership Firm with Registrar of Firms and Societies vide Registration No. 02/42/01/0093/17.

On 01-01-2021, the name of the partnership firm has changed from M/s Rajshahi Foods & Beverages to M/s Rajlaxmi Foods and Beverages.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in the name of the partnership firm with the office of registrar of firm and society

For- M/s Rajlaxmi Foods & Beverages,

**HUNNIE THAKKAR,**

(Partner).

(749-B.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारी पार्टनरशिप फर्म मेसर्स आसरा जी.एल.-4 अभियंका स्टेट यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर रजिस्ट्रेशन नं. AGR/Firm/23/2004-2005 पर रजिस्टर्ड है। इसमें मौजूदा समय में तीन पार्टनर 1. अनिल कुमार झा पुत्र स्व. श्री आर.बी. झा सी-104, अमर कंटक अपार्टमेंट, साकेत नगर ग्वालियर, 2. अनिल सिंह जादौन पुत्र स्व. श्री रामसिंह जादौन, तृप्ति नगर मुरार तथा अब्दुल शफीज खान पुत्र स्व. श्री सरमन खान, बजरंग गली, इस्लामपुरा, जौरा, मुरैना थे। इनमें से पार्टनर अनिल सिंह जादौन का विगत 10 नवम्बर सन् 2017 को आकस्मिक निधन हो गया था। अतः उक्त फर्म से इनका नाम अन्य दोनों पार्टनर एवं मृतक अनिल सिंह जादौन की पत्नी श्रीमती ज्योति जादौन, पुत्री कु. श्रृष्टि जादौन एवं पुत्र देवराज सिंह जादौन (अवयस्क) की आम सहमति से पृथक किया जाना निश्चय हुआ है। इस हेतु सभी आमजन सूचित हों।

For- M/s. AASARA,

**अनिल कुमार झा, अब्दुल शफीज खान**

(पार्टनर).

(750-B.)

**PUBLIC NOTICE****(U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

It is published for general information that Dr. Shri Jagdish Chandra Gupta S/o Late Shri Kanhaiyalal Gupta, aged 63 years, R/o, 54/1, New Mahesh Nagar, Indore, Tehsil & dist. Indore (M.P.) 452002 and Shri Lalit Kumrawat S/o Late Shri Mohanlal Kumrawat, Aged 37 years, 414 Ambika Puri Main, Aerodrum Road, Tehsil and Dist Indore (M.P.) has retired on 19-09-2020 from the firm M/s GEETANJALI HOSPITAL, K.R. HOUSE, 4 RAMCHANDRA NAGAR, INDORE, TEHSIL & DIST. INDORE (M.P.) 452005 and Shri Lokesh Kumrawat S/o Late Shri Mohanlal Kumrawat aged 39 years, 414 Ambika Puri main, Aerodrum Road, Tehsil & Dist. Indore (M.P.) and Shri Yogesh Kumrawat S/o Late Shri Mohanlal Kumrawat, aged 41 years 414, Ambika Puri Main, Aerodrum Road, Tehsil & Dist., Indore (M.P.) has joined as a new partner on 19-09-2020 in the firm M/s GEETANJALI HOSPITAL, K.R. HOUSE, 4 RAMCHANDRA NAGAR, INDORE, TEHSIL & DIST. INDORE (M.P.) 452005.

For- M/s GEETANJALI HOSPITAL,  
**LOKESH KUMRAWAT,**  
(Partner).

(694-B.)

**PUBLIC NOTICE****U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

It is published for general information that, due to demise of Shri Ajit Kumar Gupta S/o Shri Late Shri Ram Choudhary R/o 18, Kalindi Kunj, Pipliyahana Circle, Indore, Th. & Dist. Indore (M.P.) Pin-452001, he is no longer associated with the partnership firm "M/s SIDDHI VINAYAK POLYPLAST, Regd. OFFICE 204/2, Khandelwal Compound, Nemavar Road, Palda, Indore, TH. and Dist. Indore (M.P.) Pin 452001 w.e.f. 20-05-2020.

For- M/s Siddhi Vinayak Polyplast,  
**AVNISH GUPTA,**  
(Partner).

(772-B.)

**PUBLIC NOTICE****U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

It is published for general information that Smt. Radha Agrawal W/o Shri Ajay Agrawal, aged about 41 years, of 63, Narmada Marg, Khategaon, Th. & Dist. Dewas (M.P.) Pin 455336 has retired on 08-01-2021 from the firm M/s Shri Hari Agro Ware House at 63, Narmada Marg, Khategaon, Th. & Dist. Dewas (M.P.) Pin 455336 and Smt. Dimple Khandelwal W/o Shri Rajesh khandelwal, Aged about 44 years, of 444, Nemawar Road, Ward No. 12 Khategaon, Th. & Dist. Dewas (M.P.) Pin 455336 has joined as a new Partner on 08-01-2021 in the firm M/s Shri Hari Agro Ware House at 63, Narmada Marg, Khategaon, Th. & Dist. Dewas (M.P.) Pin 455336.

For- M/s Shri Hari Agro Ware House,  
**SHEETAL KHANDELWAL,**  
(Partner).

(773-B.)

**PUBLIC NOTICE****U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

It is published for general information that Smt. Radha Agrawal W/o Shri Ajay Agrawal, aged about 41 years, of 63, Narmada Marg, Khategaon, Th. & Dist. Dewas (M.P.) Pin 455336 has retired on 08-01-2021 from the firm M/s Ajay Agro Ware House at 63, Narmada Marg, Khategaon, Th. & Dist. Dewas (M.P.) Pin 455336 and Miss. Richa Agrawal, Aged about 21 years, of Ward No. 1, Narmada Colony, Khategaon, Th. Khategaon, District Dewas (M.P.) Pin 455336 has joined as a new Partner on 08-01-2021 in the firm M/s Ajay Agro Ware House at 63, Narmada Marg, Khategaon, Th. & Dist. Dewas (M.P.) Pin 455336.

For- M/s Ajay Agro Ware House,  
**PRACHI AGRAWAL,**  
(Partner).

(774-B.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स फ़ैथ क्रिकेट क्लब (Faith Cricket Club) म.नं. 03, विंडसर फेस-1, चूनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल, पंजीयन संख्या 01/01/01/0346/21, दिनांक 01 जनवरी, 2021 पर पंजीकृत फर्म है। फर्म के पंजीयन के समय श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर, श्री हरिवल्लभ जोशी (एच. एम. जोशी) एवं श्रीमती निर्मला जोशी की भागीदारी थी। फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 02 फरवरी, 2021 को हुआ है, जिसमें श्री हरिवल्लभ जोशी (एच. एम. जोशी) एवं श्रीमती निर्मला जोशी फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गए हैं एवं उक्त दिनांक को ही श्री शैलेश अग्रवाल फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुए हैं।

उक्त फर्म की रचना परिवर्तन को सर्व-साधारण रूप से सूचित किया जाता है।

मेसर्स फ़ैथ क्रिकेट क्लब,  
राघवेन्द्र सिंह तोमर,  
(भागीदार)

(775-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स आर. डी. फूड एंड ब्रेवरीज जिसका पार्टनरशिप डीड रजि. क्र.01/01/01/0240/19, दिनांक 08 अक्टूबर, 2019 जो कि भूखण्ड क्र.15 एवं 16 औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा, भोपाल में संचालित किया जा रहा था। जिसमें प्रथम भागीदार श्री राजेश दुबे आत्मज श्री हर्ष दुबे अपने भागीदारी का 51 प्रतिशत हिस्सा लेकर दिनांक 10-02-2021 को पृथक् हो चुके हैं। अब उक्त फर्म से उनका लेना-देना कुछ भी शेष नहीं है। अब वर्तमान में उक्त फर्म का नाम परिवर्तित कर एम. के. इण्डस्ट्रीज रखा गया है। जिसमें स्टील, फेबरीकेशन का कार्य किया जायेगा जो कि भागीदार मनोज कुमार जैन आ. श्री लाभमल जैन, हिस्सेदारी 51 प्रतिशत एवं श्रीमती सीमा जैन पति श्री मनोज कुमार जैन, हिस्सेदारी 49 प्रतिशत के साथ संचालित करेंगे।

मेसर्स आर. डी. फूड एंड ब्रेवरीज,  
मनोज कुमार जैन,  
(भागीदार)  
ई-782, न्यू अशोक गार्डन,  
भोपाल (म.प्र.)

(776-बी.)

### आम सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Shree Balmukund Developers स्थित House No. 37, Near Govt. School, Gram Salaiya, Tehsil Huzur, District-Bhopal M.P. जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/00295/09 है। फर्म के पार्टनर Late Shri Radheshyam का देहांत दिनांक 07-02-2017 को हो जाने के कारण भागीदारी फर्म तथा HUF Karta से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 18-12-2020 से फर्म में नए भागीदार श्री देवेश पाटीदार एवं श्री मयंक पाटीदार तथा सिया राम पाटीदार HUF Karta भागीदार फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं।

आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

M/s Shree Balmukund Developers ,  
SIYA RAM PATIDAR,  
(Partner).

(777-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स धनलक्ष्मी इनफ्राटेक, पता 403, शगुन आर्कड पी. यु.-4, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर साझेदारी फर्म से श्री फिरोज बंगलोवाला पिता श्री अकबर अली बंगलोवाला और श्री सौमिल संघवी पिता श्री मुकेश संघवी ने दिनांक 02-02-2021 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त कर ली है। अब फर्म में श्री किरण देशमुख पिता श्री स्व. ध्यानदेव देशमुख ओर, श्री उज्ज्वल भोरकर पिता श्री स्व. वाय. वी. भोरकर, श्री अतुल कुलकर्णी पिता श्री स्व. के. आर. कुलकर्णी एवं श्री मनीष अग्रवाल पिता श्री ओम प्रकाश अग्रवाल साझेदार हैं।

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स धनलक्ष्मी इनफ्राटेक पूर्व में फर्म का पता-50, अनुपनगर, इन्दौर था। अब वर्तमान में फर्म का पता 403, शगुन आर्कड पी. यु.-4 स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर हो गया है।

एतदनुसार सूचित हों।

मेसर्स धनलक्ष्मी इनफ्राटेक,  
अतुल कुलकर्णी,  
(पार्टनर).

(778-बी.)



## विविध न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) क्षेत्र, सरदारपुर, जिला धार**

प्र.क्र. ..../बी-113(1)/2021.

एतद् द्वारा सर्व-साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राजेन्द्रकुमार पिता वरदीचन्द मेहता एवं रोहितकुमार पिता रमेशचन्द्र जैन, निवासी राजेन्द्र कॉलोनी, राजगढ़ द्वारा ग्राम राजगढ़ में “ श्री नाकोडा पार्श्वनाथ नवल विहार जैन मंदिर ट्रस्ट गुरु राजेन्द्र कॉलोनी राजगढ़ ” के नाम से लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4(1) नियम-3 के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. विज्ञप्ति की प्रति पत्र के संलग्न है.

अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 की उपधारा-1 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम में उल्लेख प्रावधान अनुसार उक्त ट्रस्ट के पंजीयन किए जाने के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह व्यक्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के विज्ञप्ति प्रसारण के 15 दिवस के भीतर मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर, अपनी आपत्ति 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 08 फरवरी, 2021 को मेरे न्यायालय तथा हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई.

**बी. एल. कनेश,**

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ).

(146)

**न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर**

नरसिंहपुर, दिनांक 12 फरवरी, 2021

**प्रारूप क्र.-4**

[ देखें नियम-5 (1) ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा(2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5(1) के द्वारा ]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुविभाग-नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के **समक्ष**.

क्र./322/प्र.अ.वि.अ./2021.—यह कि श्री विनय श्रीवास्तव आ. छिदामीलाल श्रीवास्तव, न्यासी, सदगुरु गंगादासजी महाराज ट्रस्ट हरिहर आश्रम सतधारा बरमान, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन पर दिनांक 26 मार्च, 2021 को अप. 03:00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

अतः मैं, राधेश्याम बघेल, अनुविभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 26 मार्च, 2021 को अप. 03:00 बजे उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

### अनुसूची

( लोक न्यास का नाम व पता )

सदगुरु गंगादासजी महाराज ट्रस्ट हरिहर आश्रम सतधारा बरमान, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर.

( संपत्ति का विवरण )

अचल सम्पत्ति : मौजा बरमान कला, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर  
स्थित ख.नं. 169/48, रकबा 0.3650 हे.

चल सम्पत्ति : नकद रु. 11000/-

**राधेश्याम बघेल,**  
पंजीयक लोक न्यास.

(147)

## न्यायालय, पंजीयक सार्वजनिक लोक न्यास, दतिया

प्र.क्र.01/बी-113/19-20.

दतिया, दिनांक 17 फरवरी, 2021

### प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा(2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) देखिए]

श्री संजय सिंह विसेन पुत्र विष्णु देव सिंह विसेन, अध्यक्ष सिद्धी विनायक हेल्थ एवं सोशल वेलफेयर न्यास निवासी पटेल नगर टेलीफोन कॉलोनी, दतिया ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 17 मार्च, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास सा सम्पत्ति में हित रखता हो, और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास अनुभाग, दतिया का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 मार्च, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासाधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम | : | सिद्धी विनायक हेल्थ एवं सोशल वेलफेयर न्यास.                             |
| एवं पता             | : | हाउसिंग बोर्ड कालोनी, दतिया (म.प्र.).                                   |
| 2. चल सम्पत्ति      | : | प्रारंभिक निधि के रूप में रुपये 31000/-<br>(इकतीस हजार रुपया) नगर राशि. |
| 3. अचल सम्पत्ति     | : | ग्राम गंधारी में आराजी सर्वे क्रमांक 504/1<br>रकवा 0.410 हेक्टर भूमि.   |

अशोक चौहान,

अनुविभागीय अधिकारी.

(145)

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 6, 8 फरवरी, 2021

क्र./परि./2021/169.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2005/1232, विदिशा, दिनांक 17 अक्टूबर, 2005 से जिला शिक्षक कल्याण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./106, दिनांक 22 अप्रैल, 1977 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1421, विदिशा दिनांक 01 दिसम्बर, 2006 से धारा-70 के अंतर्गत श्री जी.के. पंजाबी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री जी.के. पंजाबी, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 04 जनवरी, 2021 को जिला शिक्षक कल्याण सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री जी.के. पंजाबी, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(126)

विदिशा, दिनांक 6, 8 फरवरी, 2021

क्र./परि./2021/170.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलाढाना, तहसील बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./437, दिनांक 21 मई, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/524, विदिशा दिनांक 16 जून, 2014 से धारा-70 के अंतर्गत श्री योगन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री योगन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2021 को तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बिलाढाना, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री योगन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(127)

विदिशा, दिनांक 6, 8 फरवरी, 2021

क्र./परि./2021/171.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/539, विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2017 से महाविद्यालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./221, दिनांक 30 मार्च, 1974 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। धारा-70 के अंतर्गत श्री पी.एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2021 को महाविद्यालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित बासौदा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(128)

विदिशा, दिनांक 6, 8 फरवरी, 2021

क्र./परि./2021/172.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1991/09, विदिशा, दिनांक 01 जनवरी, 1992 से शासकीय स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./138, दिनांक 22 अप्रैल, 1969 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/238, विदिशा दिनांक 27 मार्च, 2008 से धारा-70 के अंतर्गत श्री एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री एस.के. जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 04 जनवरी, 2021 को शासकीय स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(129)

विदिशा, दिनांक 6, 8 फरवरी, 2021

क्र./परि./2021/173.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1997/984, विदिशा, दिनांक 01 अगस्त, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किशनोदा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./444, दिनांक 27 मई, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/523, विदिशा दिनांक 16 जून, 2014 से धारा-70 के अंतर्गत श्री बी.एस. दांगी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री बी.एस. दांगी, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2021 को तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित किशनोदा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री बी.एस. दांगी, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(130)

विदिशा, दिनांक 6, 8 फरवरी, 2021

क्र./परि./2021/174.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांजीकिरोंदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./431, दिनांक 29 अप्रैल, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/524, विदिशा दिनांक 16 जून, 2014 से धारा-70 के अंतर्गत श्री योगन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री योगन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2021 को तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कांजीकिरोंदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री योगन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(131)

विदिशा, दिनांक 6, 8 फरवरी, 2021

क्र./परि./2021/175.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1997/983, विदिशा, दिनांक 01 अगस्त, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बागरोद, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./284, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/524, विदिशा दिनांक 16 जून, 2014 से धारा-70 के अंतर्गत श्री योगन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री योगन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2021 को तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बागरोद, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री योगन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(132)

विदिशा, दिनांक 15 फरवरी, 2021

क्र./परि./2021/198.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1964, विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 से अर्न्तवेदीय कान्य कुब्ज साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही.डी.एस./1075, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई

श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2021 को अर्न्तवेदीय कान्य कुब्ज साख सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(133)

विदिशा, दिनांक 15 फरवरी, 2021

क्र./परि./2021/199.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1951, विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 से विदिशा कृषि उपज मण्डी कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./1067, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई

श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2021 को विदिशा कृषि उपज मण्डी कर्म. साख सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशांसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(134)

विदिशा, दिनांक 15 फरवरी, 2021

क्र./परि./2021/200.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1947, विदिशा, दिनांक 17 दिसम्बर, 2017 से बाबा रामदेव क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिक्स सोसायटी मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./1066, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 के अंतर्गत श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई

श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2021 को बाबा रामदेव क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव्स सोसायटी मर्यादित विदिशा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(135)

विदिशा, दिनांक 15 फरवरी, 2021

क्र./परि./2021/201.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1950, विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 से माँ अम्बा महिला बहु. साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./1088, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। धारा-70 के अंतर्गत श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2021 को माँ अम्बा महिला बहु. साख सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा, जिला विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमाकर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(136)

के. के. द्विवेदी,  
उप-पंजीयक,

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर**

बुरहानपुर, दिनांक 19, 23 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/254.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2017/916, बुरहानपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2017 के द्वारा पवन पावरलूम क्लॉथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 75, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. जूनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

अतः मैं, भारती शेखावत, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(137)

बुरहानपुर, दिनांक 19, 23 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/255.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2014/539, बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा रेणुका महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या, बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 2084, दिनांक 30 जनवरी, 2008 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. जूनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

अतः मैं, भारती शेखावत, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(138)

बुरहानपुर, दिनांक 19, 23 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/256.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2014/542, बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा आलिया महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या, बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 1854, दिनांक 02 जनवरी, 2006 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

अतः मैं, भारती शेखावत, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(139)

भारती शेखावत,  
उप-पंजीयक.





# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2021-फाल्गुन-21, शके 1942

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकी सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 3 फरवरी, 2021

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा.
2. पारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव नहीं.
4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-रोपाई बन्द है.
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव नहीं.
7. अन्य असामयक घटना से क्षति :-कोई क्षति नहीं.
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.











1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
18.	अनूपपुर :		..	..	..	..	..	गेहूँ	चना	अलसी	अधिक	2%	सुधरी हुई	2%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जैतहरी	..	..	..	..	..	मटर	रई सरसों	..	सामान्य	..	सामान्य	2%	..	..	..	..	..
		अनूपपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कोतमा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पुष्पराजगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19.	उमरिया :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	..	..	..	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बांधवगढ़	..	..	..	..	..	चना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पाली	..	..	..	..	..	रई सरसों	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चंदिया	..	..	..	..	..	मटर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नौरोजाबाद	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मानपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
20.	सीधी :		..	..	..	..	..	अलसी	..	..	समान	..	सामान्य	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गोपदवनास	..	..	..	..	..	रई सरसों	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सिंहावल	..	..	..	..	..	चना	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		मझौली	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		कुसमी	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		चुरहट	..	..	..	..	..	जौ	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
		बहरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रामपुरनैकिन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
21.	सिंगरौली:		..	..	जुताई चालू	..	..	तुअर	..	..	अधिक	2%	बिगड़ी	50%	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		चितरंगी	..	..	बोनी चालू	..	..	गेहूँ	..	..	समान	..	सुधरी हुई	5%	..	..	..	..	..
		देवसर	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	2%	सुधरी हुई	5%	..	..	..	..	..
		सरई	..	..	..	..	..	जौ	..	..	अधिक	2%	सुधरी हुई	2%	..	..	..	..	..
		माडा	..	..	..	..	..	रई सरसों	..	..	समान	..	सुधरी हुई	2%	..	..	..	..	..
		सिंगरौली	..	..	..	..	..	अलसी	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..















1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
44.	हरदा :	हरदा खिड़किया सिराली रेहटगांव हंडिया टिमरनी	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	गेहूँ चना अन्य	.. ..	.. ..	कम अधिक समान	.. ..	सामान्य सामान्य सामान्य	.. ..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, .. ..	6.(ब)अच्छी. .. ..	7. पर्याप्त. .. ..	8. पर्याप्त. .. ..
45.	जबलपुर:	आधारताल कृण्डम सीहोरा पाटन मझौली शाहपुरा	.. ..	जुताई चालू .. ..	.. ..	.. ..	.. ..	गेहूँ मटर मसूर	.. ..	.. ..	कम अधिक कम	5% 20% 50%	सामान्य समान सामान्य	.. ..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, .. ..	6.(ब)अच्छी. .. ..	7. . . .	8. पर्याप्त. .. ..
46.	कटनी :	बहोरीबंद ढीमरखेड़ा रीठी बड़वारा मुड़वारा (क) विजयराषवगढ़ बरही	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	चना अलसी मसूर #REF! खई-सस्से तुअर	गेहूँ .. ..	.. ..	.. ..	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य समान	.. ..	5. पर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त, .. ..	6.(ब)अच्छी. .. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
47.	नरसिंहपुर :	नरसिंहपुर गोटेगांव करेली गाडरवारा तेंदूखेड़ा	.. ..	जुताई चालू बोनी चालू .. ..	.. ..	.. ..	.. ..	गन्ना तुअर गेहूँ चना मसूर मटर	.. ..	.. ..	अधिक कम कम कम कम	5% 2% 40% 30% 10% 15%	.. ..	5. . . .	6.(अ)पर्याप्त, .. ..	6.(ब)अच्छी. .. ..	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	



1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	सामान्य	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		..	..	..	..	..	चना	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
	लाँजी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्वा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(144)

बी. बी. अग्निहोत्री,  
उप-आयुक्त,  
वास्ते-आयुक्त,  
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.